।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक / ,गोपेश्वर, दिनांक 19/10 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली(बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का वन भूमि हस्तान्तरण।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1460/12–1 दिनांक 14.12.2021.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में तीन बिन्दुओ का निराकरण कर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग का पत्र सं0 1518/10 एल0ए0 दिनांक 12.10.2022 द्वारा प्रस्ताव की 04 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी, प्रस्तावो का अवलोकन कर चार प्रतियां संलग्न की जा रही है।

क्र.सं.	प्रस्ताव में कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण
1.	प्रस्ताव में पार्ट । के पैरा सी में के0एम0एल0 फाईल का परीक्षण करने पर पाया कि क्षेत्र MDF (Moderately Dense Forest) के अन्तर्गत दिखाई दे रहा है। जिसमें प्रति है0 औसतन 70 से अधिक वृक्ष सम्भावित है जबकि प्रस्ताव का परीक्षण करने पर मात्र 48 वृक्ष प्रति है0 ही सूचित किया गया है जिसमें वृक्षों की गणना संदिग्ध प्रतीत होती है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा के0एम0एल0 फाईल निर्देशांको के अनुसार वन भूमि का चिन्हांकन करने के उपरान्त पुनः वृक्षो की गणना कर वन क्षेत्राधिकारी की पत्र सं0 233/12 दिनांक 03.10.2022 से अवगत कराया गया है, कि संयुक्त निरीक्षण मे वृक्षो की गणना में विभिन्न प्रजाति के कुल 417 वृक्ष पाये गये, जो कि पूर्वानुसार है। प्रस्तावित संरेखण में प्रति है0 के अनुसार 48 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। वृक्षो की सूची प्रस्ताव में पूर्व में संलग्न है।
2.	प्रस्ताव में वैकल्पिक संरेखण तथा उससे सम्बन्धित प्रारूप 13 Performa for Comparison between identified alignment नही दिया गया है।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग प्रथम चरण हेतु कुल 22 किमी0 स्वीकृत है, संरेखण स्वीकृत के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उक्त मार्ग को दो भागो मैं विकासखण्ड घाट व विकासखण्ड थराली में विभाजित किया गया तथा यह भी अवगत कराया है कि उनके खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले 11.625 किमी0 लम्बाई में (ग्राम बंगाली से सुपताल तक) अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण सम्भव नही है। अधीक्षण अभियन्ता, सातंवा वृत्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर का संलग्न।
3.	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना की ड्रॉइंग संलग्न नही किया गया है।	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना की ड्राइंग संलग्न कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– प्रस्ताव की 04 हार्ड प्रतियां।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांकः– 1962 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

Scanned with CamScanner